अनुमंडल कार्यालय, सदर, दरभंगा
(सामान्य शाखा)

बिहार सरकार

ई–मेलः–sdo-darbhanga.bih@nic.in

दूरभाष सं0–06272–245668(R), 245349(O)

पत्रांक................../दिनांक........................../2024

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, दरभंगा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– विकास मित्र के पद पर नियोजन की सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बंध में कहना है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत दरभंगा सदर अनुमंडल के विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन की सूचना हिन्दी के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर दरभंगा।

ज्ञापांक....2487....दिनांक....25/11..../2024

प्रतिलिपि :– जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25.11.24

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर दरभंगा।

अनुमंडल कार्यालय, सदर, दरभंगा

बिहार सरकार

ई–मेलः–sdo-darbhanga.bih@nic.in

दूरभाष सं0–06272–245668(R), 245349(O)

अनुबंध के आधार पर विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन की सूचना

1.	अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन	– 27.11.2024
2.	प्रखण्डवार रिक्तियों का प्रकाशन	– 29.11.2024
3.	प्रखण्ड में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समय–सीमा	– 02.12.2024 से 10.12.2024 तक
4.	प्रखण्ड स्तर पर मेधासूची तैयार करना एवं प्रपत्र–1 में प्रकाशन	– 13.12.2024
5.	चयन सूची तैयार करना प्रपत्र–2 में प्रकाशन	– 16.12.2024
6.	अनुमंडल स्तर पर गठित चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करना	– 18.12.2024
7.	चयन सूची पर आपत्ति प्राप्त करना	– 23.12.2024 से 27.12.2024 तक
8.	चयन सूची पर आपत्ति का निराकरण	– 28.12.2024 से 31.12.2024
9.	अनुमंडल स्तर पर अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन	– 03.01.2025
10.	अंतिम चयन सूची एवं नियोजन सूची का प्रकाशन	– 07.01.2025
11.	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यशाला	– 08.01.2025

➢ **विकास मित्र का चयन :–**

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त तीन पंचायत में तीन विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत में वर्ष–2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी, उसी जाति से विकासमित्र का चयन किया जायेगा।

1. **चयन हेतु अहर्त्ता** – (i) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। (ii) जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वही के निवासी से आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा। (iii) आवेदक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (iv) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :–(1) नन् मैट्रिक (2) नौवीं पास (3) आठवी पास (4) सांतवी पास (5) छट्ठा पास (6) पांचवी पास। सर्वप्रथम नन मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर या साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित कर लिया जायेगा। बशर्ते वह अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्यो में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न–शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा। अगर दो या दो अधिक आवेदकों का जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जाएगा। (v) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। (vi) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. **आयु सीमा** :– आवेदक की उम्र दिनांक–01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदो के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर या एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. **जाति बहुलता** :– वर्ष–2010 के सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत/वार्ड समूह (ग्रामीण) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलत जातियों में किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता

का निर्धारण उस जाति से की गई है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से ही किया जाएगा।

4. **नियोजन की अवधि** :– विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष की आयु तक कार्य किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।

5. **मानदेय** :– प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतेय होगा।

6. **सामान्य निर्देश** :– कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्रों के पदों की जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को समय–समय पर प्रेषित किया जाएगा।

- **आवेदन–पत्र जमा करने का स्थान** :– संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय।
- रिक्ति की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0सं0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	जाति की बहुल्यता	अभ्युक्ति
01	बहादुरपुर	प्रेमजीवर	चमार (अन्य)	
02	हनुमाननगर	रामपुरडीह	चमार (अन्य)	
03	केवटी	मझिगामा	चमार (अन्य)	

- अधिक जानकारी के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर/जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना से संपर्क किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र का प्रपत्र हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय से संपर्क करें।
- रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।
- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।
- विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

23.11.21

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर दरभंगा।